"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 159]　　रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 अप्रैल 2016—— वैशाख 2, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–25/2016/वाक/पांच (52). —— छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15–ख की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, दिनांक 1–4–2016 से 31–3–2017 तक की अवधि के लिए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :–

अनुसूची

अ. क्र.	माल का वर्ग	छूट की सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	सेरामिक तथा विट्रिफाईड टाईल्स	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5 प्रतिशत हो जाए।
2.	मार्बल, ग्रेनाइट, धौलपुर स्टोन एवं कोटा स्टोन	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5 प्रतिशत हो जाए।
3.	मापतौल उपकरण	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5 प्रतिशत हो जाए।
4.	सड़क निर्माण तथा सिविल कार्य हेतु संकर्म संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त होने वाली मशीनरी एवं उपकरण, यथा :– 1. सभी प्रकार के क्रेन्स 2. सभी प्रकार के एक्सकैवेटर एवं राक ब्रेकर 3. बैचिंग प्लांट (कांक्रीट मिक्सचर प्लांट) 4. ब्रीज इंस्पेक्शन मशीन 5. कम्प्रेसर और ड्रायविंग रिंग 6. कांक्रीट पम्पस 7. डोजर्स 8. इलेक्ट्रॉनिक सेंसर पेवर्स 9. ग्रेडर्स	अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5 प्रतिशत हो जाए।

	10. हाट मिक्स प्लांट	
	11. हाईड्रालिक बूम प्लेसर	
	12. हाईड्रालिक बूमर	
	13. हाईड्रालिक ट्वीन बूम जम्बो ड्रीलिंग मशीन	
	14. कर्व मशीन	
	15. लोडर्स	
	16. मोजैक पालिसिंग मशीन	
	17. पाईल ड्रायविंग और पाईल एक्सट्रेक्टिंग इक्विपमेंट	
	18. पाईप जेकिंग मशीन	
	19. न्यूमेट्रिक टायर रोलर्स (पीटीआर)	
	20. रेल माउंटेड जेंट्री क्रेन	
	21. रोड रोलर्स	
	22. साईल कम्पेक्टर्स	
	23. स्टोन क्रसर, स्क्रीनस, सेपरेटिंग प्लांट	
	24. सर्वेईंग इक्विपमेंट	
	25. टेंडम रोलर्स	
	26. ट्रांजिट मिलर्स	
	27. ट्रांजिट मिक्श्चर्स	
	28. ट्रक शावेल्स, बकेट ट्रेंचेस	
	29. टनल बोरिंग मशीन	
	30. वायब्रेटर्स (कांक्रीटिंग वायब्रेटिंग इक्विपमेंट)	
	31. वेट मिक्सड प्लांट	
	32. कांक्रीट ब्लाक मेकिंग मशीन	
	33. पेंटिंग इक्विपमेंट	
	34. सभी प्रकार के बार कटिंग, बेंडिंग, बाईंडिंग तथा स्ट्रेटनिंग मशीन	
	35. सभी प्रकार के वायब्रेट्री रोलर	
	36. कांक्रीट कटर	
	37. पॉवर ट्रॉवेल	
	38. पॉवर फ्लोटर	
	39. वैक्युम डिवाटरिंग पम्प	
	40. वाईब्रेटर नीडल्स	
	41. टेम्पिंग रैमर	
	42. डायमंड कोर कटर	
	43. हैंगिंग/सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म	
	44. वॉल सॉ/वायर सॉ	
	45. कांक्रीट मिक्सचर मशीन	
	46. टॉवर हॉयेस्ट	
	47. सिविल कन्स्ट्रक्शन में उपयोग होने वाली मिनी लिफ्ट तथा पीएम लिफ्ट	
	48. स्लेब ट्रॉली	
	49. वर्क्स प्लेटफॉर्म	
	50. क्यूब टेस्टिंग मशीन	
	51. क्यूब मोल्ड मेजरिंग इक्विपमेंट	
	52. कांक्रीट के परिवहन के लिए टफ राईडर	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ–10/25/2016/वाक/पांच (52). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/25/2016/वाक/पांच (52), दिनांक 21–04–2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 21st April 2016

NOTIFICATION

No. F-10/25/2016/CT/V (52). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below, from payment of tax to the extent specified in column (3), for the period from 1-4-2016 to 31-3-2017, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of exemption
(1)	(2)	(3)
1.	Ceramic and vitrified tiles	Partly, so as to reduce the rate of tax to 5 percent.
2.	Marble, granite, dhoulpur stone and kota stone	Partly, so as to reduce the rate of tax to 5 percent.
3.	Weighing equipment	Partly, so as to reduce the rate of tax to 5 percent.
4.	Machineries and equipments used in execution of civil works contracts and road construction such as :- 1. All type of cranes 2. All types of excavator & rock breaker 3. Batching plant (concrete mixture plant) 4. Bridge inspection machines 5. Compressor and driving ring 6. Concrete pumps 7. Dozers 8. Electronic sensor pavers 9. Graders 10. Hot mix plant 11. Hydraulic boom placer 12. Hydraulic broomer 13. Hydraulic twin boom jumbo drilling machine 14. Kerb machine 15. Loaders 16. Mosaic polishing machines 17. Pile driving and pile extracting equipment	Partly, so as to reduce the rate of tax to 5 percent.

	18. Pipe jacking machine 19. Pneumatic tyre rollers (PTR) 20. Rail mounted gantry crane 21. Road rollers 22. Soil compactors 23. Stone crusher, screens, separating plant 24. Surveying equipments 25. Tandam rollers 26. Transit millers 27. Transit mixtures 28. Truck shovels, bucket tranches 29. Tunnel boring machines 30. Vibrators (concreting vibrating equipment) 31. Wet mixed plant 32. Concrete block making machine 33. Painting equipment 34. All type of bar cutting, bending, binding & straightening machine 35. All type of vibratory roller 36. Concrete cutter 37. Power trowel 38. Power floater 39. Vacuum dewatering pump 40. Vibrator needles 41. Tamping rammer 42. Diamond core cutter 43. Hanging / suspended platform 44. Wall saw / wire saw 45. Concrete mixer machine 46. Tower hoist 47. Mini lift & PM lift used in civil construction 48. Slab trolley 49. Works platform 50. Cube testing machine 51. Cube mould measuring instruments 52. Tough rider for transportation of Concrete	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.